न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1309–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–05–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 11/2014–15/अपील.

1– रामस्वरूप
2– शंकर लाल
3– नारायण प्रसाद
4– बाबूलाल पुत्रगण श्री राधेलाल
निवासी ग्राम गिलगवा तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.

———— आवेदकगण

विरूद्ध

गुलाब बाई पत्नी स्व. श्री बाबूलाल गौड़
पुत्री श्री स्व. राधेलाल
निवासी – गायत्री कालोनी गोलारस
जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदक

———

श्री ओ0पी0 शर्मा अभिभाषक – आवेदक क. 1,3,4
श्री सुनील जादौन अभिभाषक – आवेदक क.2
श्री जीतेन्द्र त्यागी अभिभाषक – अनावेदक

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 23/11 – 2016)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 15–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त में आवेदक शंकरलाल द्वारा एक आवेदक पत्र संहिता की धारा–178 के अंतर्गत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर ग्राम गिलगवां की भूमि सर्वे कमांक किता–21 रकवा 11.00 है0 के बटवारा किये जाने की मांग की गयी। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–27/13–14 दर्ज कर कार्यवाही शुरू की एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर स्वत्व के अनुसार बटवारा आदेश दिनांक 03–06–14 को पारित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक रामस्वरूप ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

अनुविभागीय अधिकारी ने प्र. क. 44/88–89/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 12–9–2014 के अशंत स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 15–05–15 के द्वारा अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक क. 1, 3, 4 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदकगण के पिता एवं अनावेदिका के पिता की मृत्यु के बाद आपस में बाहमी बटवारा किया गया था, उक्त बाहमी बटवारे में आवेदकगण की मॉ फूलाबाई तथा बहिन गुलाब बाई ने अपने हिस्से में आयी भूमि को सभी चारों भाई नारायण प्रसाद, रामस्वरूप, बाबूलाल एवं शंकरलाल को अपनी स्वेच्छा से समान भाग पर दे दी और अपना हक चारों भाईयों के हित में छोड़ दिया था तभी से चारों भाई उक्त भूमि पर काबिज होकर लगातार खेती करते रहे है और वर्तमान में भी उसी वाहमी बटवारे के आधार पर काविज होकर खेती कर रहे है। उक्त बटवारे का अमल ग्राम पटवारी ने नहीं किया जबकि पटवारी को उक्त बटवारे के संबंध में पूर्व में सूचना दे दी थी। उक्त बटवारे का अमल न होने से उक्त कृषि भूमि का खाता संयुक्त नाम से बना रहा। यह भी तर्क दिया कि गुलाबा बाई ने तहसीलदार कोलारस के समक्ष एक आवेदन पत्र बटवारे हेतु दिया जो प्रकरण क0 4/89–90/अ–27 गुलाब बाई नारायण प्रसाद आदि के नाम से दर्ज हुआ उक्त प्रकरण में गुलाब बाई ने स्वयं अपनी स्वेच्छा से दिनांक 05–30–1992 को एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमि में अपने हिस्सा 1/5 को पुनः चारों भाई नारायण प्रसाद, रामस्वरूप बाबूलाल शंकरलाल के हित में छोड़ दिया है इस भूमि में मेरा कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि पर उक्त चारों का ही आधिपत्य था और आज भी है अब उक्त भूमि से मेरा कोई संबंध नहीं है उक्त प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किया जावे। तर्क में यह भी कहा कि तहसीलदार कोलारस के समक्ष एक आवेदन पत्र बटवारे हेतु आवेदक शंकरलाल ने दिया जो प्रकरण क0 6/13–14/अ–27 पर दर्ज हुआ उक्त प्रकरण में गुलाब बाई (अनावेदिका) के रूप में थी उसके साथ में अनावेदक के रूप में नारायण प्रसाद, रामस्वरूप, बाबूलाल के नाम थे उक्त प्रकरण में दिनांक 03–06–2014 को आदेश पारित कर गुलाब बाई को हिस्सा 1/5 अवैधानिक रूप से दे दिया गया जबकि उक्त प्रकरण में पूर्व में चले प्रकरण क0 4/89–90/अ–27 के आदेश के प्रति भी पेश की

गई थी और जबाव भी पेश किया गया था। उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने बाला–बाला ग्राम पटवारी से फर्द बटवारा रिपोर्ट तैयार कर सर्वे क0 371, 79 मिन, कुल रकवा 2.20 है0 दे दी गई जो कि अधिक कीमती एवं सिंचित भूमि है। उक्त बटवारा फर्द की सूचना आवेदकगण को नहीं दी और उनकी कोई सहमति भी नहीं ली गई तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, कोलारस ने उक्त अवैधानिक फर्द बटवारे को आधार बना कर गुलाब बाई से मिलकर मनमाने तौर पर आदेश पारित कर दिया। यह भी कहा कि तहसीलदार के प्रकरण कमांक 6/13–14/अ–27 के आदेश दिनांक 03–06–2014 को विधि विरूद्ध बटबारा नियमों के विरूद्ध पारित होने से आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो प्रकरण कं0 44/13–14/अ0मा0 पर दर्ज हुई जिसमें दिनांक 12–09–14 को आदेश पारित कर आवेदकगण की अपील स्वीकार की गई, जिसमें गुलाब बाई का कोई हक नहीं पाया गया है और सम्पूर्ण रकवा 11.500 को चारों भाईयों नारायण प्रसाद, रामस्वरूप, बाबूलाल एवं शंकर लाल को 1/4 हिस्सा दे दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक क. 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदकगण के पिता स्व0 श्री राधेलाल जी की मृत्यु दिनांक 15–1–1968 के पश्चात अनावेदिका गुलाब बाई काफी लम्बे समय बाद तहसील कौलारस के समक्ष पिता की भूमि में हिस्सा लेने हेतु बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क. 4/88–89/अ–27 पर दर्ज हुआ परन्तु आवेदकगण व अनावेदिका में आपसी बाहरी समझौता होने के बाद व गांव वालो के समझाने के बाद गुलाब बाई द्वारा उक्त बटवारा प्रकरण न चलाने बावत् व अपना हिस्सा अपने पिता स्व0 श्री राधेलाल की भूमि से न लेने हेतु आवेदन मय शपथ पत्र के साथ दिनांक 5–3–1992 को प्रस्तुत किया जिसके आधार पर तहसीलदार ने प्रकरण निरस्त किया। तर्क में यह भी कहा कि मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है कि जिन लड़की के पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो चुकी है उन लड़कियों को पिता की भूमि से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। अनावेदिका गुलाब बाई का उक्त भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं है। नवीन संशोधन मुताविक गुलाब बाई को पिता की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को भली भांति परीक्षण किये बगैर पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है एवं आवेदकगण की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

5/ अनावेदिका गुलाब बाई के विद्वान अभिभाषक के तर्क दिया कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 44/13–14 प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उक्त विवादित भूमि आवेदकगण तथा अनावेदिका के संयुक्त स्वामित्व की भूमि दर्ज थी। जिसका बटवारा पूर्व में हो चुका था, जिसके अनुसार ही वे अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक शपथ–पत्र अनावेदिका ने अपना हक अपने भाईयों के नाम कर दिया है, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये, तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका गुलाब बाई द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त महोदय के समक्ष विधिवत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार करते हुए, अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया। यह भी तर्क दिया कि अनावेदिका द्वारा कभी भी अपना हक आवेदकगण के नाम हस्तांतरित नहीं किया गया है और न ही अनावेदिका द्वारा कोई शपथ–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है क्योंकि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त शपथ–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उक्त शपथ–पत्र के संबंध में अनावेदिका गुलाब बाई का कोई कथन अंकित कराये गये हैं। कानूनी प्रावधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो उसके कथन अंकित कराना अनिवार्य है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया है वह हिन्दू सक्शेसन एक्त 2005 (एमेडमेंट) एक्ट है, जिसमें पुत्री का हक समाप्त नहीं किया गया है जो कि उक्त निर्णय से स्पष्ट होता है। तर्क में यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति द्वारा हक या कोई भी उपहार किसी व्यक्ति के नाम दिया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित उचित होने से यथावत रखते हुये निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अनावेदिका द्वारा आवेदकों के पक्ष में अपना हक छोडा था अथवा नहीं? विचारण न्यायालय के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने विधिवत बटवारा आदेश दिनांक 03–6–2014 के द्वारा पारित किया

जिसके विरूद्ध आवेदक रामस्वरूप द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तजुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में अनावेदिका के हिस्से को आवेदक के पक्ष हक त्याग संबंधी निष्कर्ष निकाला है, जबकि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 44/88–89/अ–27 में जिसप्रकरण का हवाला दिया है जिसके द्वारा अनावेदिका के हकत्याग संबंधी निष्कर्ष निकाला है तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करना बताया है उसकी सत्यापित अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त अनावेदिका गुलाबबाई के हक त्याग करने संबंधी शपथ पत्र के संबंध में किसी प्रकार के कथन अंकित नहीं कराये हैं। कानूनी प्रावधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो उसके कथन अंकित कराना अनिवार्य है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा हक त्याग संबंधी निष्कर्ष को न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक अनावेदक अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति द्वारा हक या कोई भी उपहार किसी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है, मान्य किये जाने योग्य है। विधि में नियमों के अनुसार ही हक त्याग किया जा सकता है जिसके अनुसार उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय सहित इस प्रकरण में अनावेदिका द्वारा अपने हक के संबंध में हक त्याग का खण्डन किया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में विधिसम्मत एवं उचित कार्यवाही की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग का आदेश दिनांक 15–5–15 यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर